



क्रमांक

दिनांक

### कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 के अन्तर्गत वित्त विभाग के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.09.2013 के क्रम में जारी अधिसूचना दिनांक 27.12.2018 में आइटम 1 के अन्तर्गत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के माध्यम से कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

वित्त (व्यय-5) विभाग की आई0डी0 332200638 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की दरों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की सहमति प्राप्त हुई है:-

- For Member Institutions Rs. 1,000/- per trainee per day
- For other Institutions Rs. 1,200/- per trainee per day
- The additional fee for Residential Course :-

Vishranti Non-AC Room (Rs. Per Trainee Per day)	Vishranti AC Room (Rs. Per Trainee Per day)	New Executive Hostel (Rs. Per Trainee Per day)
700/-	800/-	1,000/-

For making special arrangements for course, on the request of sponsoring agency, Director CMS is authorized to decide training charges as per mutual agreement between CMS and sponsoring agency.

उपरोक्त दरे दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी होगी।

sel -

महानिदेशक

ह0च0मा0 रीपा, जयपुर

दिनांक: 23-9-2022

क्रमांक: 2346-56

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
3. प्रमारी अधिकारी (आयोजन एवं प्रशिक्षण विभाग), ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
4. समस्त प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/संकाय सदस्य, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा रीपा, रानी रोड उदयपुर।
6. अतिरिक्त पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा रीपा, जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
7. रोकड़/लेखा शाखा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

9. ACP को विभागीय वेबसाइट पर प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।

23/09/2022  
पंजीयक